राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नं.– 2022/643
राजस्व वाद स. 184 /2022

1. चिरंजीलाल पुत्र भाताराम, उम्र 63 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कुठानियां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. शिम्भूदयाल पुत्र भाताराम, उम्र 51 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कुठानियां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

.........वादीगण

– बनाम –

1. सत्यनारायण दत्तक पुत्र मूंगाराम उम्र 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कुठानियां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. उप पंजियक सिंघाना उप तहसील सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. लैण्ड हौलडर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

..........प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई

–: निर्णय :–

दिनांक – 29/9/22

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

वादीगण की ओर से दावा प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

1. यह कि वाके ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नम्बर 181/1 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार भाता, औकार पुत्र लादू एवं बनवारी पुत्र कालू दर्ज रिकॉर्ड थे। वादीगण भाता के वारिस है भूमि गत खसरा नम्बर 181/1 ... नए खसरा नम्बर 116 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकबा ... हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.33 हैक्टेयर कित्ता ... रकबा 3.69 हैक्टेयर बना तथा गत ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

न. 232 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा थी जिसका पक्षकारों में विभाजन होने व बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये ख.न. 431 बनाये जाने पर यह भूमि भी भाताराम के हिस्से में आई है।

2. यह कि भाताराम के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 जायिंदा पुत्र थे। प्रतिवादी संख्या 1 जब पांच वर्ष की उम्र का था अर्थात सन् 1969 में प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 06.11.2022 को दिपावली के दिन को वादीगण के पिता भाताराम व माता सरबती ने गांव कुठानियां में हिंदू रिति रिवाज के अनुसार मूंगाराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी कुठानियां को गोद दे दिया था तथा उक्त मूंगाराम ने गांव एवं भाई बिरादरी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 को गोद में लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। इस बाबत् गांव कुठानियां में गुड़ बटवाकर मंगल गीत गवाए गए। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम का दत्तक पुत्र है एवं मूंगाराम के जीवन पर्यन्त प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मूंगाराम के साथ ही उसके पुत्र के रूप में रहा तथा मूंगाराम की मृत्यु के बाद बतौर दत्तक पुत्र मूंगाराम की समस्त चल अचल सम्पति को धारण किया जो आज तक मूंगाराम का दत्तक पुत्र होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पास है।

3. यह कि ग्राम कुठानियां स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 127 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.82 हैक्टेयर जो मूंगाराम के हिस्से की भूमि थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के पास सत्यनारायण दत्तक पुत्र मूंगाराम की हैशियत से मूंगाराम का उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 के पास है।

4. यह कि ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119/2 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.33 हैक्टेयर किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर अकेले वादीगण की है। यह भूमि वादीगण को अपने पिता भाताराम से उत्तराधिकार में मिली है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने औरस पिता भाताराम के जीवनकाल में ही मूंगाराम के गोद चला गया था। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 06.11.1969 को मूंगाराम के गोद गया था एवं उक्त गोदनामा का जब प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 19 वर्ष थी उस समय अर्थात दिनांक 04.04.1983 को गोदनामा पंजिकृत हुआ था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने औरस पिता भातराम के जीवनकाल में मूंगाराम के गोद चला गया था एवं मूंगाराम के दत्तक पुत्र के रूप में मूंगाराम के परिवार का सदस्य बन चुका था। उसको भाताराम के हिस्से की भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं थे। भाताराम की मृत्यु सन् 1977 के लगभग हुई है।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर वादीगण को अपने पिता भाताराम से प्राप्त हुई है तथा खसरा [illegible] इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। लेकिन [illegible] की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भी भाताराम के पुत्र के [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 सन् 1969 में ही मूंगाराम के यहां गोद [illegible] संख्या 1 की उम्र 5 साल थी। इसलिए भाताराम की मृत्यु [illegible] 1 का नाम भाताराम के पुत्र के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुं[illegible]

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

गलत दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 बतौर दत्तक पुत्र मूंगाराम से प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 127, खसरा नम्बर 130, खसरा नम्बर 131, खसरा नम्बर 133 का खातेदार दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भाताराम से वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में गलत दर्ज हो गया है। इसलिए वादीगण इस भूमि के खातेदार दर्ज किए जाने व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस भूमि से हजफ किए जाने योग्य है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सत्यनाराण पुत्र भाताराम के रूप में दर्ज होने से अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई एवं वह वादीगण की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताने लगा जबकि यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को इस भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 भाताराम का पुत्र न होकर मूंगाराम का दत्तक पुत्र है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अब इस भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताकर इसे खुर्द बुर्द, रहन, बेचान करने की धमकी देने लगा है एवं गलत रिकॉर्ड की आड़ में वादीगण के कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने लगा है। जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए वादीगण के लिए अपने अधिकारों की घोषणा एवं सुरक्षा हेतु यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

7. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर वादीगण की भूमि होने प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम का दत्तक पुत्र होने व उसका वादीगण एवं उनके पिता भाताराम की भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वाद वर्णित भूमि के 1/3 हिस्सा में दर्ज होने एवं गलत रिकॉर्ड की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के कब्जे, काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी देने एवं गलत रिकॉर्ड की आड़ में इस भूमि को रहन, बेचान, दान, उपहार, समर्पण या किसी भी प्रकार से हस्तानांतरित करने की धमकी देने से पैदा हुआ है। अतः दावा अंदर मियाद है।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम कुठानियां में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है। अतः दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

9. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उपपंजियक लोक सेवक है जिसके खिलाफ दावा दायरी से पहले दो माह का नोटिस दिया जाना आव[illegible] लेकिन यदि नोटिस दिया जाकर दावा पेश किया जाएगा तो प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] दान, रहन, बेचान या किसी भी रूप से हस्तानांतरित कर देगा [illegible] वादी का[illegible] दायरी का उद्देश्य ही समाप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

जाएगा। इसलिए न्यायालय श्रीमान जी की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है।

10. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1 रूपये व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1 रूपये कोर्ट फीस नियत है अतः दावा कुल 2/–रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

11. यह कि दावा के समर्थन मे दावाकर्ता का शपथ पत्र पेश हैं तथा दावा दोहरी प्रति मे पेश किया जा रहा हैं।

अतः दावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क) कि वाके ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सत्यनारायण पुत्र भाताराम के रूप में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 एवं वादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करने का आदेश दिए जाने की कृपा करें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए कि वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 431, खसरा नम्बर 598/119 किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सत्यनारायण पुत्र भाताराम के रूप में दर्ज भूमि को वह रहन, बेचान, दान, उपहार, समर्पण या किसी भी प्रकार से हस्तानांतरित नहीं करे तथा वादीगण को इस सम्पूर्ण भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखल नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को भी जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए कि वह उक्त वाद वर्णित भूमि के बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दान, रहन बेचान, गिरवी, उपहार, सर्म्पण या किसी भी प्रकार के हस्तानांतरण विलेख को पंजिकृत नहीं करे ना ही अपने मातहत अधिकारी व कर्मचारियों से कराए।

(ग) कि दांवा वादी डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो एवं दावाकर्ता जिसका वाजिब हकदार हो दावाकर्ता को दिलवाये जाने कि कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई साक्ष्य वादी में गवाह पी. डब्लू 1 चिरंजी लाल के ब्यान दर्ज किये गये दस्तावेजी साक्ष्य में वाद वर्णित भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 1 लगायत 22 पेश किये गये । तथा प्रतिवादी स. 1 के मुंगाराम का दतक पुत्र होने के सम्बध में जमाबन्दी प्रदर्श 23 लगायत 29. पेश की गई। जिसमें प्रतिवादी स.1 सत्यनारायण दतक पुत्र मुंगा दर्ज हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 के हक में मुंगाराम द्वारा पंजिकृत करवाया गया। गोददनामा दिनांक 04.04.1983 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –30 प्रस्तुत की गई। समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किया गया प्रतिवादी स. 1 ने मुंगाराम का दतक पुत्र होने के आधार पर ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 127, 130, 131, 133, एवं 505/5/2 प्राप्त की हैं। जिसमें से खसरा न. 505/5/2 का बेचान लीलाधर पुत्र औमप्रकाश को किया जाना जमाबन्दी सवत 2059 से 62 में दर्ज हैं इस प्रकार प्रतिवादी स.1 मुंगाराम का दतक पुत्र होना राजस्व [illegible] एवं पंजिकृत गोदनामा दिनांक 047.04. 1983 से साबित हैं। तथा वादी के वाद का किसी प्रकार से प्रतिरोध भी नही रहा हैं इसलिए वादीगण का दावा पत्रावली पर उपलब्ध एवं दस्तावेजी साक्ष्य से डिक्री योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

मुकदमा नम्बर :– 184/2022
चिरंजीलाल आदि बनाम सत्यनारायण आदि
निर्णय दिनांक 29/9/22

– :: आदेश ::–

अतः वाके ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 0.34 हैक्टर खसरा नम्बर 122 रकबा 0.33 हैक्टर खसरा नम्बर 431 रकबा 0.60 हैक्टर खसरा नम्बर 598/119 रकबा 0.97 हैक्टर किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सत्यनारायण पुत्र भाताराम के रूप में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 एवं वादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी जारी हों।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर :– 184/2022
चिरंजीलाल आदि बनाम सत्यनारायण आदि
निर्णय दिनांक 29/9/22

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 184/2022
निर्णय दिनांक :– 29/9/22

चिरंजीलाल आदि **बनाम** सत्यनारायण आदि

<u>दावा– घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिती में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 29/9/22 को **सुनील कुमार चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" अतः वाके ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 0.34 हैक्टर खसरा नम्बर 122 रकबा 0.33 हैक्टर खसरा नम्बर 431 रकबा 0.60 हैक्टर खसरा नम्बर 598/119 रकबा 0.97 हैक्टर किता 4 रकबा 2.24 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सत्यनारायण पुत्र भाताराम के रूप में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 एवं वादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:26 IST
Reason: SelfAttested